

FORM 21C
(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of the
Representation of the People Act, 1951.**

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from
153-UDAIPUR Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

(Name)

SHRI GULAB CHAND KATARIA

(Address)

141, MACHALA MAGARA UDAIPUR

sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** (name of the recognized/
registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House
from the above constituency.

Place : Udaipur

(Sanjay Kumar)

Date : 11 Dec 2018

Returning Officer,

153 - Udaipur Assembly

Constituency,

Add. District Majistrate (City),

Udaipur

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा
153—उदयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री गुलाब चन्द कटारिया

(नाम)

141, माछला मगरा उदयपुर

(पता)

भारतीय जनता पार्टी

मान्यता प्राप्त/
रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक पार्टी का नाम

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : आर्ट्स कॉलेज, विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर

दिनांक : 11 दिसम्बर 2018

(संजय कुमार)

रिटर्निंग ऑफिसर

153—उदयपुर वि.स. क्षेत्र

अति. जिला मजिस्ट्रेट(शहर), उदयपुर